

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी फ़ैजाबाद

पत्रांक- आई-7/एफ.एस./2013 (विद्यालय)

दिनांक : 19/9/2022

सेवा में,

(Handwritten signature)

विषय :- मा० न्यायालय में योजित जनहित याचिका संख्या 483/2004, अवनीश मेहरोत्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित मा० न्यायालय के आदेश दिनांक 13/04/2009 के अनुपालन में स्कूलों/कालेजों में अग्निशमन सुरक्षा की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था प्रमाण-पत्र का निर्गत किया जाना।

सन्दर्भ:- आवेदक श्री. डार. रम प्रोबलक (सूचना अधिकारी) का प्रार्थना पत्र दि० NIL

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विद्यालय/कालेज का अग्नि सुरक्षा की दृष्टिकोण से अग्निशमन अधिकारी..... श्री श्री. डार. रम प्रोबलक द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। इनकी निरीक्षण आख्या दिनांक 18/09/22 के अनुसार विद्यालय/ कालेज की भूमि भवन एवं उपलब्ध अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाएं निम्नवत् पायी गयी-

(क) ढोंचागत व्यवस्थाएँ-

1. विद्यालय/कालेज का कुल प्लॉट एरिया 9144.00 वर्ग मी० है।
2. भूतल कवर्ड एरिया 602.00 वर्ग मी० एवं कमरों की संख्या 2 है।
3. प्रथम तल कवर्ड एरिया 2 वर्ग मी० एवं कमरों की संख्या 2 है।
4. द्वितीय तल कवर्ड एरिया 2 वर्ग मी० एवं कमरों की संख्या 2 है।
5. विद्यालय/कालेज तक पहुँच मार्ग मोटरबुल है भवन 2005 के पूर्व/बाद का बना है।
6. नियमानुसार/आवश्यकतानुसार सेट बैक है
7. विद्यालय परिसर/भवन के ऊपर से हाईटेंशन विद्युत लाइन नहीं है

(ख) उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्थाएँ-

1. नियमानुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था (सिस्टम/उपकरण) कार्यशील दशा में पायी गयी। शिक्षकों/कर्मचारियों को उपकरणों के चलाने की जानकारी दी गयी।
2. आपातकालीन टेलीफोन नं० 101, 100 तथा 05278-224233 के पट्टिका पर अंकित करने व विद्यालय में जहरीले/अति ज्वलनशील एवं विस्फोटक पदार्थ नहीं रखने हेतु निर्देशित किया जाता है।
3.

अतः आवेदक को इस शर्त पर अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा प्रत्येक वर्ष अग्निशमन यंत्रों का निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर विहित फीस राजकीय कोष में जमा कराकर अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र व उपकरणों का नवीनीकरण कराया जाना अति आवश्यक होगा। अग्निशमन उपकरणों को अकार्यशील दशा में पाये जाने परद यह प्रपत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(Handwritten signature)

(महावीर प्रसाद)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी

फ़ैजाबाद

प्रतिलिपि: (1) प्रबन्धक/प्रधानाचार्य श्री. डार. रम प्रोबलक सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित।
(2) अग्निशमन अधिकारी..... को सूचनार्थ प्रेषित।